महत्वपूर्ण एवं खास

16 जून से 15 अक्टूबर तक खुले रहेंगे कलमा बैराज के सभी गेट

बैराज के नीचे महानदी पर मछली पकड़ना, फसल लगाना एवं नहाने की सख्त मनाही

रायगढ़। कार्यपालन अभियंता जल संसाधन संभाग, रायगढ़ ने जानकारी देते हुए बताया है कि महानदी पर निर्मित कलमा बैराज में 16 जून से 15 अक्टूबर 2025 तक सभी गेटों को खोला जाएगा। जिससे बैराज के नीचे महानदी में जल बहाव की मात्रा अत्यधिक बढ़ सकती है। बैराज के नीचे महानदी में मछली पकडऩा, फसल लगाना एवं नहाना इत्यादि सख्त मना है। जनसामान्य के द्वारा उक्त सूचना के पालन नहीं करने पर होने वाली जन-धन हानि के लिए संबंधित व्यक्ति स्वयं जिम्मेदार होंगे।

प्रयास आवासीय विद्यालय: प्राक्चयन परीक्षा परिणाम घोषित

10 जून तक मंगाए गए दावा-आपत्ति आवेदन

रायगढ़। शिक्षण सत्र 2025-26 में प्रयास आवासीय विद्यालयों के कक्षा 9 वीं में प्रवेश हेतु 20 मई को प्राक्चयन परीक्षा आयोजित की गई थी। जिसका परिणमा घोषित करते हुए जिलेवार सूची विभागीय वेबसाईट www.eklavya.cg.nic.in पर अपलोड की गई है। मेरिट सूची का प्रकाशन पृथक से किया जाएगा। सहायक आयुक्त आदिवासी विकास, रायगढ़ ने जानकारी देते हुए बताया कि आवेदक वेबसाईट पर दर्शित परीक्षा परिणाम में अपना नाम एवं रोल नंबर का मिलान कर सकते है। किसी प्रकार की त्रुटि होने पर आवेदक अपने जिला के सहायक आयुक्त, आदिवासी विकास कार्यालय में स्वयं उपस्थित होकर अंतिम तिथि 10 जून 2025 तक दावा-आपत्ति आवेदन प्रस्तुत कर सकते है। डाक द्वारा दावा-आपत्ति स्वीकार नहीं किया जाएगा। अंतिम तिथि पश्चात प्राप्त दावा-आपत्ति मान्य नहीं किया जाएगा।

आंगनबाड़ी के रिक्त पदों पर अनंतिम सूची जारी

16 जून तक मंगाए गए दावा-आपत्ति आवेदन

रायगढ़। एकीकृत बाल विकास परियोजना रायगढ़ (ग्रामीण)अंतर्गत आंगनबाड़ी केन्द्र कोड़तराई क्रमांक 2 (बसंतपुर)में आंगनबाड़ी सहायिका के एक पद तथा आंगनबाड़ी केन्द्र कुकुर्दा, तेन्दूडीपा, काशीचुंआ, कोसमपाली में आंगनबाड़ी सहायिका के एक-एक पद के लिए गत दिवस आवेदन मंगाए गए थे। मूल्यांकन समिति की बैठक में प्राप्त आवेदनों पत्रों का परीक्षण कर प्राविधि/अनंतिम मूल्यांकन पत्रक प्रकाशित कर परियोजना कार्यालय के सूचना पटल पर चस्पा किया गया है। आवेदिकाओं से प्राप्त आवेदन पत्र के मूल्यांकन के संबंध में कार्यालयीन स्तर से किसी प्रकार की लिपिकीय त्रुटि हुई है तो अपना दावा-आपत्ति परियोजना अधिकारी, एकीकृत बाल विकास परियोजना, रायगढ़ ग्रामीण के कार्यालय में 16 जून 2025 सायं 5.30 बजे तक लिखित में प्रस्तुत कर सकते है। उक्त तिथि के पश्चात प्राप्ति आपत्ति दावा-मान्य नहीं किया जाएगा।

मुनाफा कमाने का झांसा देकर 10 लाख से अधिक की ठगी

रायपुर (आरएनएस)। शेयर मार्केट में मुनाफा कमाने का झांसा देकर 10 लाख 40 हजार की ठगी करने का मामला प्रकाश में आया है। प्रार्थी की शिकायत पर खमतराई पुलिस ने अज्ञात आरोपी के खिलाफ अपराध दर्ज किया है। मिली जानकारी के अनुसार प्रार्थी हितेन्द्र पटेल 37 वर्ष श्रीनगर एलआईसी ऑफिस के पास खमतराई का रहने वाला है। प्रार्थी ने थाना में शिकायत किया कि उसके पास अज्ञात मोबाइल नंबर क्रमांक 74780-52023 से कॉल आया। अज्ञात व्यक्ति ने प्रार्थी को शेय मार्केट में ज्यादा मुनाफा कमाने का झांसा देकर लिंक भेजकर अलग-अलग खाते में 10 लाख 40 हजार रुपए जमा करवा लिया। प्रार्थी की शिकायत पर खमतराई पुलिस ने अज्ञात आरोपी के खिलाफ धोखाधड़ी का अपराध दर्ज किया है।

मुख्यमंत्री साय की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक में लिए गए अनेक महत्वपूर्ण निर्णय

रायपुर । आरएनएस

विष्णु देव साय की अध्यक्षता में आज यहां मंत्रालय महानदी भवन में आयोजित कैबिनेट की बैठक में अनेक महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए:-

मंत्रिपरिषद द्वारा छत्तीसगढ़ शासन की वर्ष 2025 के लिए स्थानांतरण नीति का अनुमोदन किया गया। जिसके तहत जिला स्तर पर स्थानांतरण 14 जून से 25 जून तक प्रभारी मंत्री द्वारा और राज्य स्तर पर विभागीय मंत्री की मंजूरी से होंगे, आवेदन 6 जून से 13 जून तक स्वीकार किए जाएंगे।

न्यूनतम दो वर्ष सेवा अनिवार्य है, गंभीर बीमारी, मानसिक/शारीरिक अक्षमता और सेवा निवृत्ति से पूर्व एक वर्ष के मामलों में विशेष सुविधा मिलेगी। अनुसूचित क्षेत्रों से स्थानांतरण हेतु एवजीदार अनिवार्य है, साथ ही सुकमा, बीजापुर, नारायणपुर जैसे जिलों में रिक्त पदों को भरने का विशेष प्रयास रहेगा। तृतीय श्रेणी के कर्मचारियों के मामलों में उनके संवर्ग की कुल संख्या का अधिकतम 10 प्रतिशत एवं चतुर्थ श्रेणी कर्मचाारियों में अधिकतम 15 प्रतिशत स्थानांतरण किए जा सकेंगे। परीविक्षाधीन अधिकारी-कर्मचारियों का स्थानांतरण नहीं किया जाएगा।

पति-पत्नी की एक स्थान पर पदस्थापना, ग्रामीण-शहरी संतुलन और पारदर्शिता के लिए राज्य स्तर के सभी स्थानांतरण आदेश ई-ऑफिस के माध्यम से जारी होंगे। जिला स्तर पर निर्धारित समयावधि में स्थानांतरण जारी कर उसी तिथि को आदेश की प्रति सामान्य प्रशासन विभाग को मेल करना होगा।

सभी जिला स्तरीय कर्मचारियों का संलग्नीकरण 5 जून 2025 से समाप्त माना जाएगा और जहां किसी कर्मचारी की आवश्यकता होगी स्थानांतरण नीति के अनुरूप स्थानांतरण किया जा सकेगा।

स्थानांतरण के विरूद्ध 15 दिन में राज्य स्तरीय समिति को अभ्यावेदन किया जा सकेगा। 25 जून के बाद स्थानांतरण पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा, अत्यंत आवश्यक होने पर समन्वय में अनुमोदन उपरांत स्थानांतरण किया जा सकेगा।

मंत्रिपरिषद की बैठक में मुख्यमंत्री जी के घोषणानुसार ग्राम पंचायत दामाखेड़ा का नाम ''कबीर धर्मनगर दामाखेड़ा'' किये जाने का अनुमोदन किया गया।

मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने 23 फरवरी 2024 को बलौदाबाजार-भाटापारा जिले के सिमगा तहसील अंतर्गत दामाखेड़ा में आयोजित संत समागम समारोह ''मांघीमेला'' में सम्मिलित होकर दामाखेड़ा का नाम कबीर धर्मनगर दामाखेड़ा नाम किए जाने की घोषणा की थी।

मंत्रिपरिषद द्वारा कबीरधाम जिले के कवर्धा तहसील के ग्राम पंचायत गदहाभाठा का नाम परिवर्तन कर ग्राम पंचायत सोनपुर तथा बोड़ला तहसील के ग्राम पंचायत चण्डालपुर का नाम परिवर्तन कर ग्राम पंचायत चन्दनपुर किए जाने का निर्णय लिया गया।

मंत्रिपरिषद द्वारा छत्तीसगढ़ राज्य की कला, संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए राज्य में कलाग्राम की स्थापना हेतु नवा रायपुर अटल नगर में संस्कृति विभाग को 10 एकड़ भूमि निःशुल्क आबंटित करने तथा उक्त भूमि के विरूद्ध प्रतिपूर्ति राशि नवा रायपुर अटल नगर विकास प्राधिकरण को भुगतान करने का निर्णय लिया गया।

यह कलाग्राम शिल्पकारों, लोक कलाकारों और परंपरागत कारीगरों के लिए एक समर्पित केंद्र होगा, जो सांस्कृतिक आदान-प्रदान को बढ़ावा देगा साथ ही छत्तीसगढ़ की सांस्कृतिक समृद्धि को सुदृढ़ करेगा और स्थानीय कारीगरों एवं शिल्पकारों के लिए राष्ट्रीय स्तर पर अपनी कला को प्रदर्शित करने का एक स्थायी मंच भी प्रदान करेगा।

मंत्रिपरिषद की बैठक में नवा रायपुर अटल नगर में राष्ट्रीय स्तर की तीरंदाजी अकादमी की स्थापना के लिए खेल एवं युवा कल्याण विभाग को 13.47 एकड़ भूमि निःशुल्क आबंटित करने के प्रस्ताव को मंजूरी प्रदान की गई। इस अकादमी में आउटडोर व इनडोर (एसी) तीरंदाजी रेंज, उच्च प्रदर्शन केंद्र, छात्रावास एवं आवासीय सुविधा का निर्माण किया जाएगा। इससे छत्तीसगढ़ राष्ट्रीय खेल मानचित्र पर और अधिक मजबूती से उभरेगा।

मंत्रिपरिषद द्वारा राज्य के निम्न एवं मध्यम वर्गीय परिवारों को शहरों में किफायती एवं सस्ते भूखण्ड उपलब्ध कराने के लिए छत्तीसगढ़ किफायती जन आवास नियम, 2025 का अनुमोदन किया गया।

इससे लोगों को शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में उचित दर पर भूखंड उपलब्ध कराकर पानी, बिजली, सडक़, सीवरेज जैसी बुनियादी सुविधाओं की बेहतर व्यवस्था सुनिश्चित होगी। अवैध प्लाटिंग की रोकथाम के साथ ही लोगों को सुव्यवस्थित कॉलोनियों का विकल्प मिलेगा और राज्य में रियल एस्टेट व इंफ्रास्ट्रक्चर क्षेत्र में निवेश के नए अवसर उपलब्ध होंगे।

मंत्रिपरिषद द्वारा प्रदेश में युवा कल्याण के विभिन्न क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य करने वालों व्यक्ति एवं संगठनों को सम्मानित करने के लिए युवा रत्न सम्मान योजना शुरू करने का महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया है। इस योजना के तहत युवा कल्याण के क्षेत्र में असाधारण और विशिष्ट सेवा कार्य करने वाले व्यक्ति अथवा स्वैच्छिक संगठनों को ''छत्तीसगढ़ युवा रत्न सम्मान'' से सम्मानित किया जाएगा। छत्तीसगढ़ युवा रत्न सम्मान हर वर्ष राज्य के एक युवा और एक स्वैच्छिक संस्था को उनके उत्कृष्ट कार्यों के लिए दिया जाएगा। इसमें युवा को पदक, प्रमाण पत्र, शॉल और अधिकतम 2.50 लाख रूपए, जबकि संस्था को अधिकतम 5 लाख रूपए की पुरस्कार राशि दी जाएगी।

इसके साथ ही सामाजिक, साहित्य, नवाचार, शिक्षा, खेल, पर्यावरण, महिला एवं बाल विकास, मीडिया, स्वास्थ्य, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, दिव्यांगजन सशक्तिकरण, कला-संगीत तथा लोककला के क्षेत्र में ''युवा रत्न सम्मान'' प्रदान किया जाएगा। युवा रत्न सम्मान प्रत्येक वर्ष उपरोक्त क्षेत्रों में उत्कृष्ट कार्य के लिए चयनित एक-एक युवाओं को प्रदान किया जाएगा। जिसमें पदक, पदक प्रमाण पत्र, शॉल और अधिकतम एक लाख रूपए शामिल हैं। महिला एवं बाल विकास के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य के लिए यह सम्मान केवल महिलाओं और बालिकाओं को दिया जाएगा।

आवेदक को छत्तीसगढ़ का मूल निवासी होना चाहिए और उसकी उम्र 15 से 29 वर्ष के बीच होनी चाहिए। सरकारी कर्मचारी, सरकारी उपक्रमों और शैक्षणिक संस्थानों में कार्यरत व्यक्ति पात्र नहीं होंगे। एक व्यक्ति या संस्था को एक ही साल में एक ही श्रेणी का पुरस्कार मिल सकता है और एक श्रेणी का पुरस्कार किसी को दोबारा नहीं दिया जाएगा।

मंत्रिपरिषद द्वारा राज्य में खेलों को बढ़ावा देने के लिए खेल एवं युवा कल्याण विभाग अंतर्गत प्रशिक्षक (कोच) के पद पर भर्ती हेतु राष्ट्रीय क्रीडा संस्था पटियाला से प्रशिक्षक के डिप्लोमा के मापदण्ड को एक वित्तीय वर्ष के लिए शिथिलीकरण करने का निर्णय लिया गया।

मंत्रिपरिषद द्वारा राज्य में ग्रामीण एवं आदिवासी बहुल क्षेत्रों में पर्यटन को बढ़ावा देने तथा स्थानीय लोगों को रोजगार के नए अवसर प्रदान करने के लिए ''छत्तीसगढ़ होमस्टे नीति 2025-30'' का अनुमोदन किया गया।

होमस्टे नीति का उद्देश्य यह है कि छत्तीसगढ़ के गांवों और विशेषकर बस्तर और सरगुजा के दूर-दराज के इलाकों में पर्यटन को बढ़ावा दिया जाए। इससे वहां के युवाओं को रोजगार के नए अवसर मिले। होमस्टे के ज़रिए पर्यटकों को गांव की संस्कृति, कला, शिल्प और प्रकृति से जुड़ा खास अनुभव मिलेगा, साथ ही, इससे गांवों में रहने वाले लोगों को सीधा लाभ होगा और उनकी आमदनी बढ़ेगी। यह एक तरह से ओकल फॉर लोकल के लक्ष्य को प्राप्त करने और देश में ग्रामीण पर्यटन के विकास में महत्वपूर्ण साबित होगा।

खरसिया में पुलिस पेट्रोलिंग के दौरान अभद्रता करने वाले चार आरोपी गिरफ्तार, शासकीय कार्य में बाधा पर केस दर्ज

रायगढ़

पुलिस अधीक्षक दिव्यांग पटेल के दिशा-निर्देशन में शांति व्यवस्था बनाए रखने असामाजिक तत्वों पर सख्ती से कार्रवाई की जा रही है। इसी क्रम में खरसिया चौकी पुलिस ने पुलिसकर्मियों से अभद्रता और धक्का-मुक्की कर शासकीय कार्य में बाधा पहुंचाने वाले चार आरोपियों को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर भेजा गया है।

घटना दिनांक 03 जून 2025 की रात्रि की है, जब चौकी खरसिया के पुलिसकर्मी प्रतिदिन की तरह टाउन पेट्रोलिंग पर थे। इसी दौरान राम मंदिर मेन रोड पर तेज रफ्तार और लापरवाहीपूर्वक चल रहे वाहन क्रमांक CG 13 BB 1111 को रोककर पुलिसकर्मियों ने पूछताछ की। वाहन में मौजूद व्यक्ति ने अपना नाम अमन नथानी निवासी खरसिया बताया और गाड़ी से उतरते ही आवेश में आकर पुलिसकर्मियों से विवाद करने लगा। उसने गुस्से में कहा—"मेरी गाड़ी को कैसे रोक दिए"—और तत्काल कॉल कर अपने तीन अन्य साथियों को मौके पर बुला लिया।

मौके पर पहुंचे अन्य तीन व्यक्ति—मिथलेश नथानी, कुशल नथानी और मनोज नथानी—सभी एकराय होकर पुलिसकर्मियों से अभद्र व्यवहार करते हुए धक्का-मुक्की करने लगे, जिससे शासकीय कार्य में बाधा उत्पन्न हुई। घटना के संबंध में पेट्रोलिंग में तैनात आरक्षक ने पुलिस चौकी में आवेदन प्रस्तुत किया, जिसे गंभीरता से लेते हुए चौकी प्रभारी निरीक्षक अमित तिवारी ने वरिष्ठ अधिकारियों के मार्गदर्शन में तत्काल कानूनी कार्रवाई की।

पुलिस ने आरोपियों अमन नथानी, मिथलेश नथानी, कुशल नथानी और मनोज नथानी के विरुद्ध अपराध क्रमांक 303/2025 के तहत धारा 221, 121(1), 132, 3(5) भारतीय न्याय संहिता (BNS) के तहत अपराध पंजीबद्ध किया और उन्हें गिरफ्तार कर रिमांड पर न्यायालय भेजा गया है।

खरसिया पुलिस ने स्पष्ट किया है कि शांति व्यवस्था भंग करने वाले तत्वों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई जारी रहेगी।

गिरफ्तार आरोपी

1 मनोज नथानी पिता स्व सफरमल नथानी उम्र 54 वर्ष

2 मिथलेश नथानी पिता मनोज नथानी उम्र 26 वर्ष

3 अमन नथानी पिता मनोज नथानी उम्र 29 वर्ष

4 कुश उर्फ कुशल नथानी पिता सुनील नथानी उम्र 18 वर्ष 04 माह सभी साकिन सिधी कालोनी खरसिया चौकी खरसिया जिला रायगढ़

पुलिसकर्मियों पर गिरी गाज

ड्यूटी में लापरवाही करने वाले पांच कर्मी सस्पेंड

जशपुर । आरएनएस

जशपुर जिले में ड्यूटी के प्रति गंभीर लापरवाही बरतने के कारण पांच पुलिसकर्मियों को निलंबित कर दिया गया है। यह कार्रवाई तब हुई जब एक मुलजिम, रितेश प्रताप सिंह, पुलिस की अभिरक्षा से फरार हो गया। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जशपुर शशि मोहन सिंह ने इस मामले में सख्त कदम उठाते हुए पांच पुलिसकर्मियों—प्रधान आरक्षक सुनसाय एक्का (97), आरक्षक लव कुश पैंकरा (481), आरक्षक जनक साय (559), आरक्षक डायमंड तिग्गा (281), और आरक्षक पुतरू राम (205)—को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर रक्षित केंद्र जशपुर से संबद्ध कर दिया। निलंबन के दौरान इन कर्मचारियों को नियमानुसार केवल जीवन निर्वाह भत्ता मिलेगा।

घटना 02 जून 2025 को उस समय हुई जब जिला जेल जशपुर में निरुद्ध मुलजिम रितेश प्रताप सिंह (24 वर्ष), जो धारा 296, 115(2), 118, 64, और 62 बीएनएस के तहत जेल में था, को कुनकुरी न्यायालय में पेशी के लिए ले जाया गया। रितेश, जो पहले एक नाबालिग लडक़ी के साथ शादी का झांसा देकर दैहिक शोषण और बाद में मारपीट के मामले में जेल जा चुका था, को छह अन्य मुलजिमों के साथ शासकीय वाहन से पेशी के लिए ले जाया गया था। पेशी के बाद वापसी के दौरान रात 19:45 बजे लोरो घाट के पास रितेश ने हथकड़ी और जंजीर को हाथ से निकालकर चलती गाड़ी से कूदकर फरार हो गया। यह घटना ड्यूटी पर तैनात पुलिसकर्मियों की घोर लापरवाही को दर्शाती है। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक शशि मोहन सिंह ने बताया कि फरार मुलजिम की तलाश के लिए पुलिस टीमें सक्रिय हैं। उन्होंने कहा, पुलिस की अभिरक्षा से मुलजिम का फरार होना अत्यंत गंभीर मामला है। ड्यूटी में लापरवाही बरतने वाले पांच पुलिसकर्मियों को निलंबित किया गया है, और उनके खिलाफ प्राथमिक जांच के लिए एसडीओपी जशपुर चंद्रशेखर परमा को नियुक्त किया गया है। विभागीय जांच के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी।

मधुवनपारा में छाल पुलिस ने जब्त किया अवैध महुआ शराब, आरोपी गिरफ्तार

रायगढ़

पुलिस अधीक्षक दिव्यांग पटेल के दिशा निर्देशन में जिलेभर में अवैध शराब के विरुद्ध चलाए जा रहे विशेष अभियान के तहत छाल थाना क्षेत्र में बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया गया। थाना प्रभारी निरीक्षक मोहन भारद्वाज के नेतृत्व में ग्राम मधुवनपारा में की गई दबिश के दौरान भारी मात्रा में अवैध महुआ शराब बरामद की गई और आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर भेजा गया।

मिली सूचना के आधार पर पुलिस को जानकारी मिली थी कि शिवनारायण श्रीवास नामक व्यक्ति ग्राम छाल मधुवनपारा स्थित अपने निवास के सामने अवैध रूप से महुआ शराब बिक्री के लिए रखे हुए है। सूचना की तस्दीक कर तत्काल गवाहों के समक्ष दबिश दी गई, जहां आरोपी शिवनारायण श्रीवास पिता कमलेश्वर श्रीवास उम्र 31 वर्ष, निवासी बड़े देवगांव थाना सरिया, जिला सारंगढ़-बिलाईगढ़ (वर्तमान पता मधुवनपारा छाल, जिला रायगढ़) को मौके पर अवैध शराब के साथ पकड़ा गया।

पुलिस ने उसकी तलाशी लेने पर 10 लीटर, 5 लीटर वाले प्लास्टिक जरकिन तथा एक 2 लीटर वाली कोल्ड ड्रिंक बॉटल में करीब 14 लीटर महुआ शराब बरामद की, जिसकी अनुमानित कीमत रु.1,400 है। टीआई मोहन भारद्वाज द्वारा आसपास चेक कराया गया, जहां शराब बनाने के पात्र और महुआ पास रखने के प्लास्टिक डिब्बे मिले जिसे मोके पर नष्ट किया गया। जब्त शराब को मौके पर पंचनामा के तहत ज़प्त कर आरोपी के विरुद्ध छाल थाना में आबकारी एक्ट की धारा 34(2), 59-क के तहत अपराध पंजीबद्ध कर आज न्यायालय में पेश कर रिमांड पर भेजा गया।

इस कार्रवाई में निरीक्षक मोहन भारद्वाज के साथ प्रधान आरक्षक शंकर क्षत्री, शंभू पाण्डेय, आरक्षक प्रबंध राठिया, उमेंद उरांव एवं गोविंद बनर्जी की सक्रिय भूमिका रही। पुलिस अधीक्षक ने अवैध शराब के विरुद्ध अभियान को आगे भी इसी सख्ती से जारी रखने के निर्देश दिए हैं।

एकताल में मवेशियों की तस्करी करते ओड़िशा के दो मवेशी तस्कर गिरफ्तार, पिकअप वाहन जब्त

आरोपियों पर की गई पशु क्रूरता की कार्रवाई

रायगढ़

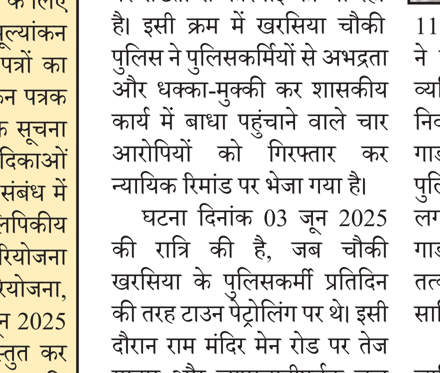

पुलिस अधीक्षक दिव्यांग पटेल के दिशा-निर्देशन में जिले में पशु तस्करी पर सख्त कार्रवाई जारी है। इसी क्रम में थाना चक्रधरनगर पुलिस ने एकताल मेन रोड पर हुई सड़क दुर्घटना के बाद मौके से छह मवेशियों की अवैध तस्करी कर रहे दो आरोपियों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों द्वारा मवेशियों को क्रूरता पूर्वक वाहन में ठूंसकर ओड़िशा ले जाया जा रहा था।

घटना दिनांक 03 जून 2025 को उस समय प्रकाश में आई जब थाना प्रभारी चक्रधरनगर को सूचना मिली कि एक पिकअप वाहन क्रमांक OD 23 D 0021 दुर्घटनाग्रस्त हो गया है, जिसमें मवेशियों की तस्करी की जा रही थी। सूचना मिलते ही निरीक्षक अमित शुक्ला अपने स्टाफ के साथ मौके पर पहुंचे, जहां दो व्यक्ति वाहन के पास संदिग्ध अवस्था में मिले। पूछताछ में उन्होंने अपना नाम विजय टेटे पिता पितरूस टेटे उम्र 28 वर्ष निवासी कुसुमटोली, थाना कुतरा, जिला सुंदरगढ़ (ओडिशा) एवं फबियन केरकेट्टा पिता ज्वाकिम केरकेट्टा उम्र 29 वर्ष निवासी मगरकुंडा, थाना कुतरा, जिला सुंदरगढ़ (ओडिशा) बताया।

पुलिस ने जब पिकअप वाहन की तलाशी ली तो उसमें 6 नग कृषक गौवंश पशु क्रूरतापूर्वक गले में रस्सी बांधकर ठूंसकर लदे पाए गए। आरोपियों द्वारा छत्तीसगढ़ से ओडिशा मवेशियों की अवैध तस्करी की जा रही थी। मौके पर मौजूद प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि वाहन चालक की लापरवाही के चलते यह पिकअप दुर्घटनाग्रस्त हो गया, जिससे वाहन में लदे पशु और आरोपी सड़क किनारे घायल अवस्था में पाए गए।

मामले की रिपोर्ट एकताल निवासी हिमांशु चौहान द्वारा थाने में दर्ज कराई गई, जिसके आधार पर थाना चक्रधरनगर में अपराध क्रमांक 241/2025 धारा 4, 6, 10, 11 छत्तीसगढ़ कृषक पशु परिरक्षण अधिनियम 2004, धारा 3(5) BNS तथा मोटरयान अधिनियम की धाराएं 184, 66/192 के तहत अपराध पंजीबद्ध किया गया। जप्त मवेशियों का मौके पर पशु चिकित्सक द्वारा परीक्षण कराया गया तथा आरोपियों को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश कर रिमांड पर भेजा गया है।

इस कार्रवाई में थाना प्रभारी अमित शुक्ला के साथ सहायक उप निरीक्षक नंद कुमार सारथी, प्रधान आरक्षक संतोष कुर्रे एवं पौलुस एक्का की महत्वपूर्ण भूमिका रही। पुलिस प्रशासन द्वारा मवेशी तस्करी के विरुद्ध सख्त कदम जारी हैं।

SJU - Contact No. +91 9301915303 E-mail ID- sjunion29@gmail.com

Social Justice Union

Registered with Govt. No. 5526

Join SJU

अधिकार से न्याय तक

इस संघ का गठनसम्पूर्ण छत्तीसगढ़ में पीड़ितो को न्याय दिलाने के लिए किया गया है, जिसे छत्तीसगढ़ शासन से मान्यता प्राप्त है, जिसका क्रमांक 5526 है, तथा सम्पर्क हेतु नं0 9301915303 है। इस संघ के गठन पर संघ के संरक्षक एवं लीगल एडवाईज़र श्री तथागत श्रीवास्तव (अधिवक्ता, माननीय उच्च-न्यायालय), एवं गर्वनिंग बोर्ड के सदस्यों कु0 सी.बी.वर्मा, श्रीमती ऐकता श्रीवास्तव, श्रीमती रजनी राकुन्डे एवं अन्य ने शासन को धन्यवाद ज्ञापित किया, और कहा कि संघ के पास सामाजिक अन्याय अथवा मानवाधिकार हनन सम्बन्धी तथ्य के प्रस्तुत होने पर, उसे लिखित में शासन एवं प्रशासन में विभिन्न महत्वपूर्ण पदों पर आसीन एवं सक्षम व्यक्तियों के समक्ष संघ की ओर से प्रस्तुत किया जावेगा। साथ ही, विधि, न्याय सम्बंधी कार्य हाथ में लेकर बेसहारा, गरीब, परित्यक्ता, विधवाओं के उत्थान के लिए कार्य किया जावेगा।

आवश्यकता

उद्देश्य एवं नियुक्तियां

मुख्य रूप से संघ का उद्देश्य छत्तीसगढ़ प्रदेश के समस्त जिलों एवं ब्लॉक स्तर में सामाजिक न्याय हेतु प्रचार-प्रसार करना, तथा मानवाधिकार हेतु जागरूकता पैदा करना है। संघ साक्षरता एवं अनौपचारिक शिक्षा के माध्यम से मानवाधिकार के सम्बंध में प्रचार प्रसार करना चाहता है। इस हेतु प्रदेश के समस्त जिलों एवं ब्लॉक स्तर पर सामाजिक न्याय एवं मानवाधिकार संरक्षण केन्द्र की स्थापना की जावेगी, और उनमें संघ के द्वारा आधिकारिक नियुक्तियाँ की जावेंगी। प्रत्येक व्यक्ति इस संघ में सदस्य बन सकता है, जिसके लिए संघ के द्वारा निर्धारित नियम एवं शर्तो का पालन किया जाना अनिवार्य है। इस हेतु सदस्यता फार्म संघ के प्रधान कार्यालय में उपलब्ध है।

मुख्य बिन्दु

प्रताड़ित एवं पीड़ित व्यक्ति की समस्याओं को सुनना, आवेदन लेना तथा पीड़ित को न्याय दिलाने के लिए उचित साधन एवं संसाधनों की जरूरत के अनुसार व्यवस्था करना मूल रूप से इस संघ का कार्य है। पीड़ित व्यक्तियों को न्यायिक, गैर-न्यायिक एवं सामाजिक समस्या पर विधिनुसार एवं संविधान के अनुसार आवश्यक मदद की जावेगी।

पीड़ित संपर्क करें

संघ विशेष रूप से मानवाधिकार दिलाने एवं सामाजिक न्याय प्राप्ति हेतु पीड़ित मानव की हर संभव मदद करेगा तथा इस हेतु पीड़ित मानव के लिए भारतीय संविधान के तहत् विधिक सहायता की व्यवस्था आवश्यकतानुसार करेगा। यदि कोई पीड़ित है तो इस संघ से सम्पर्क कर सकता है।

अन्य बिंन्दु

- संघ पर्यावरण संरक्षण एवे पर्यावारण सम्बंधी चेतना हेतु भी जागरूकता लाने का प्रयास करेगा।
- पूरे छत्तीसगढ़ प्रदेश मे महिलाओं के अधिकार, श्रमिकों के अधिकार, आदिवासियों के अधिकार, अनुसूचित जाति-जनजातियों के अधिकारों के सम्बंध में विधिक एवं संवैधानिक रीति के कार्यक्रमों को इस संघ द्वारा संचालित किया जावेगा तथा प्रत्येक पीड़ित को उसके कर्तव्यों एवं अधिकारों के बारे में सचेत किया जावेगा। न्याय प्राप्ति हेतु हर संभव मदद की जावेगी।
- संघ शासन से मान्यता प्राप्त है, अतः शासन एवं प्रशासन में विभिन्न पदों पर आसीन् तक पीड़ित की परेशानी को आसानी से पहुँचाया जा सकता है। इस हेतु संघ शासन एवं प्रशासन में विभिन्न महत्वपूर्ण पदों पर आसीन व्यक्तियों से मुलाकात कर पीड़ित को न्याय दिलाने में समस्त सहायता भी करेगा।
- संघ द्वारा संवैधानिक शिक्षा एवं सामाजिक विकास से सम्बंधित रिसर्च कार्यक्रम किए जावेंगे, एवं समान उद्देश्यों वाली अंतर्राष्ट्रीय, राष्ट्रीय, सरकारी तथा गैरसरकारी संस्थाओं के साथ मिलकर काम किया जावेगा।
- संघ सामाजिक कुरीतियों को दूर करने के लिए कार्यशाला का आयोजन भी करेगा। संघ देश के भूले बिसरे पर महान विभूतियों के सम्मान में कार्यक्रम भी आयोजित कराएगा।

पढिए .... न्यायसाक्षी समाचार-पत्र

:: Address ::
Behind Stadium
Near Career
School, Raigarh,
C.G.
Pin 496001

www.nyaysakshi.com

सभी से अपील की गई है कि ज्यादा से ज्यादा संख्या में संघ से जुड़कर साथ का साथ दिया जावे ताकि प्रत्येक पीड़ित मानव को न्याय मिल सके एवं एक अच्छे समाज का निर्माण हो सके।

Join SJU Join SJU Join SJU Join SJU Join SJU